राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 60/2023

मैसर्स स्काईवार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. नं.-1/84, पहली मंजिल सदर बाजार, दिल्ली कैंट नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली 110010 भारत में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि नवदीप प्रताप सिंह पुत्र श्री तारा चंद राव, निवासी 1577 बीपी, पुलिस गेस्ट हाउस के पास, सेक्टर-23, कार्टारपुरी उर्फ दौलतपुर, नसीराबाद, गुरुग्राम, हरियाणा - 122017 के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जयपुर जोन, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, सी स्कीम, जयपुर- 302005 के माध्यम से।
2. राजस्थान राज्य, अपने संयुक्त सचिव (कर), वित्त विभाग (कर प्रभाग), सचिवालय, जयपुर- 302001 के माध्यम से।
3. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, एंटी-इवेजन, सर्किल-III, जयपुर, कर भवन, जयपुर में।

----प्रतिवादी

<u>से संबंधित</u>

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 392/2023

मैसर्स स्काईवार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. नं.-1/84, पहली मंजिल सदर बाजार, दिल्ली कैंट नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली 110010 भारत में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि नवदीप प्रताप सिंह पुत्र श्री ताराचंद राव, 1577 बीपी, पुलिस गेस्ट हाउस के पास, सेक्टर-23, कार्टारपुरी उर्फ दौलतपुर, नसीराबाद, गुरुग्राम, हरियाणा -122017 के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

(29/05/2025 को 12:59:41 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

1. भारत संघ, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जयपुर जोन, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, सी स्कीम, जयपुर- 302005 के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने संयुक्त सचिव (कर), वित्त विभाग (कर प्रभाग), सचिवालय, जयपुर- 302001 के माध्यम से।

3. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, एंटी-इवेजन, सर्किल-III, जयपुर, कर भवन, जयपुर में।

----प्रतिवादी

डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 393/2023

मैसर्स स्काईवार्क इंफ्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एच. नं.-1/84, पहली मंजिल सदर बाजार, दिल्ली कैंट नई दिल्ली पश्चिम दिल्ली 110010 भारत में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि नवदीप प्रताप सिंह पुत्र श्री ताराचंद राव, 1577 बीपी, पुलिस गेस्ट हाउस के पास, सेक्टर-23, कार्टारपुरी उर्फ दौलतपुर, नसीराबाद, गुरुग्राम, हरियाणा -122017 के माध्यम से।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, मुख्य आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, जयपुर जोन, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैच्यू सर्किल, सी स्कीम, जयपुर-302005 के माध्यम से।

2. राजस्थान राज्य, अपने संयुक्त सचिव (कर), वित्त विभाग (कर प्रभाग), सचिवालय, जयपुर-302001 के माध्यम से।

3. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, एंटी-इवेजन, सर्किल-III, जयपुर, कर भवन, जयपुर में।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री हेमंत कोठारी
प्रतिवादी के लिए	:	श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता सुश्री हर्षिता ठकराल, सुश्री धृति लड्ढा, श्री तनय गोयल के साथ। श्री किंशुक जैन श्री देवेश यादव

(29/05/2025 को 12:59:41 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

माननीय न्यायमूर्ति श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायमूर्ति श्री उमा शंकर व्यास

आदेश

05/11/2024

अवनीश झिंगन, जे (मौखिक)

1. इन याचिकाओं का निर्णय इस आदेश द्वारा किया जा रहा है क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा और तथ्य समान हैं। सुविधा के लिए, तथ्य डीबीसीडब्ल्यूपी संख्या 60/2023 से लिए जा रहे हैं।

2. यह याचिका निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए याचिकाकर्ता की अपील को अस्वीकार करते हुए अपीलीय प्राधिकारी, राज्य कर, जयपुर द्वारा पारित दिनांक 23.09.2022 के आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है।

3. प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने की गई आपूर्तियों को अंतर-राज्यीय आपूर्ति और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (इसके बाद 'आईजीएसटी' के रूप में संदर्भित) के लिए देय होने का दावा किया। प्रतिवादी संख्या 3 ने आपूर्तियों को अंतर-राज्यीय माना और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया।

4. इस याचिका में उठाई गई शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही आईजीएसटी अधिनियम के तहत कर जमा कर दिया था। वर्तमान याचिका में आईजीएसटी अधिनियम की धारा 19(1) और सीजीएसटी और आरजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 77(1) के अधिकारातीत होने को भी चुनौती दी गई है।

5. 17.04.2023 को, निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था: -

> "ये मामले दिनांक 05.01.2023 के अंतरिम आदेश के अनुपालन के संबंध में विचार के लिए आए हैं।
>
> याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर आईजीएसटी की वापसी की शर्त के अधीन तीन महीने की अवधि के भीतर सीजीएसटी और

(29/05/2025 को 12:59:41 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

आरजीएसटी का शेष 65% जमा करने का निर्देश दिया था। उन्होंने निवेदन किया कि यद्यपि वापसी के लिए आवेदन पहले ही किया जा चुका है, आईजीएसटी के लिए जमा किए गए 4.02 करोड़ रुपये में से, केवल 1,17,59,177/- रुपये वापस किए गए हैं जिसमें नकद और क्रेडिट दोनों घटक शामिल हैं। इसलिए, इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को इस स्तर पर न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर सीजीएसटी और आरजीएसटी का 65% जमा करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।

भारत संघ के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि जहां तक भारत संघ का संबंध है, उसके पास जमा की गई राशि वापस कर दी गई है और शेष राशि दिल्ली में जीएसटी विभाग द्वारा वापस की जानी है।

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर विचार करते हुए, हम याचिकाकर्ता को एक महीने की अवधि के भीतर आरजीएसटी के तहत राज्य के पास 1,17,59,177/- रुपये की वापसी राशि जमा करने का निर्देश देते हैं।

प्रतिवादियों का उत्तर चार सप्ताह के भीतर दायर किया जा सकता है और मामले को चार सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया जाए। आवेदन संख्या 01/2023 का तदनुसार निपटान किया जाता है।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निर्देशों पर निवेदन किया कि आईजीएसटी के संबंध में भारत संघ से प्राप्त वापसी राशि वस्तु एवं सेवा कर प्राधिकरणों के पास जमा कर दी गई है। यह तर्क है कि राशि जमा करने के साथ, अधिकरण के समक्ष अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की पूर्व-शर्त का अनुपालन किया गया है। इसके अलावा, इस राशि के अतिरिक्त अन्य राशि पहले ही जमा की जा चुकी है।

7. यह देखते हुए कि प्रावधानों के अधिकारातीत होने पर विचार करने से पहले तथ्यात्मक पहलुओं का निर्धारण पहली बार में किया जाना आवश्यक है, याचिका का

(29/05/2025 को 12:59:41 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)

निपटान याचिकाकर्ता को जीएसटी अधिकरण के समक्ष अपील के उपाय के लिए भेजकर किया जाता है।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकारातीत होने की चुनौती का मुद्दा खुला रखा गया है।

9. शेष राशि की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई और कार्यवाही नहीं की जाएगी, यदि अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि अपील दायर करने के लिए पूर्व-जमा की शर्त का अनुपालन किया गया है। याचिकाकर्ता इन लेनदेन पर आईजीएसटी के तहत प्राप्त वापसी राशि भी जमा करेगा।

10. जीएसटी अधिकरण का गठन आज तक नहीं हुआ है, याचिकाकर्ता अधिकरण के गठन की तारीख से तीन महीने के भीतर अपील दायर करेगा। अधिकरण पूर्व-जमा की शर्त का अनुपालन होने से संतुष्ट होने के बाद योग्यता के आधार पर अपील पर विचार करेगा।

(उमा शंकर व्यास), जे (अवनीश झिंगन), जे

चंदन / योगेश / 72 से 74

क्या रिपोर्ट करने योग्य है: **हाँ** / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

Arish Bhalla Law Offices
Corporate office–
PlotNo. 73 (West Part), First Floor, Jem Vihar, Behind Sanganer Stadium, Sanganer-302029, Jaipur (Raj.)
ARISHBHALLA

(29/05/2025 को 12:59:41 बजे अपराह्न डाउनलोड किया गया)